संख्या : 12018(11)/1/2016

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 10 मई, 2019

विषय : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में परामर्शदाता (राजभाषा) के तीन पद अनुबंध के आधार (कंट्रैक्ट बेसिस) पर भरने के संबंध में सूचना ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन के हिंदी अनुभाग में अनुवाद तथा राजभाषा संबंधी अन्य कार्यों के लिए तीन (3) परामर्शदाता (राजभाषा) अनुबंध के आधार पर तत्काल रखे जाने का प्रस्ताव है ।

2. अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज का पर्याप्त अनुभव रखने वाले, राजभाषा पदों से सेवानिवृत्त अथवा हिंदी पत्रकारिता व अन्य प्रकाशन गृहों से जुड़े अनुवाद तथा लेखन का अनुभव रखने वाले पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति इन रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

3. ये रिक्तियां विशुद्ध रूप से अस्थायी हैं तथा इनके राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा इन पदों पर नियमित अनुवादक भेजने अथवा नियुक्ति से एक वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, तक बने रहने की संभावना है ।

4. आयु सीमा :

i. युवा प्रोफेशनल - 28 वर्ष तक
ii. कनिष्ट परामर्शदाता – 35 वर्ष तक
iii. वरिष्ठ परामर्शदाता – 55 वर्ष तक
iv. सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी - 65 वर्ष तक (विशेष रूप से योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों के मामलों में चयन समिति के अनुमोदन से अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है) ।

5. शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव :

आवेदक स्नातक अवश्य हो । इसके अलावा, उसे अनुवाद, हिंदी लेखन आदि का अनुभव होना चाहिए । पत्रकारिता, प्रकाशन तथा संपादन आदि का अनुभव वांछनीय होगा । राजभाषा पदों से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं हैं ।

6. वेतन :

i. युवा प्रोफेशनल - कुल 30,000 रुपये , जिसमें परिवहन भत्ते के रूप में 5000 रुपये भी शामिल हैं ।
ii. कनिष्ठ परामर्शदाता – कुल 50000 रुपये, जिसमें परिवहन भत्ते के रूप में 5000 रुपये भी शामिल हैं।

i. वरिष्ठ परामर्शदाता – कुल 50000 रुपये, जिसमें परिवहन भत्ते के रूप में 5000 रुपये भी शामिल हैं।

ii. सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी - सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का पारिश्रमिक इस प्रकार से नियत किया जाएगा कि उस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन और उसे मिलने वाला वेतन उसके द्वारा सेवा निवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन से अधिक न हो ।

7. चुने गए परामर्शदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर संसद सत्र तथा अन्य अवसरों पर सरकारी कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए देर शाम तक रुकना पड़ सकता है तथा अवकाश के दिनों में भी कार्यालय आना पड़ सकता है ।

8. इच्छुक आवेदक इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अपने आवेदन पत्र निम्नलिखित पते अथवा ई-मेल पर भेज सकते हैं :-

संयुक्त निदेशक (राजभाषा),
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
कमरा नं.-638, छठा तल, ए विंग,
शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001
ई-मेल – param.arya@nic.in
दूरभाष: 011-23380548

10/5/14
(परमानन्द आर्य)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.), भारत सरकार
दूरभाष: 011-23380548

प्रतिलिपि:

निदेशक, एनआईसी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ----- मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए।